

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) *श्री सत्यनारायण*

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

श्री कंवर उनवान
बनाम *श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.*

दावा बाबत *नाम डिक्री 01538 RTA*

मुकदमा नम्बर :- *1/2022*

निर्णय दिनांक :- *06-06-2022*

वादी की ओर से *श्री कंवर* की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख *06-06-2022* को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - *दावा वादी हार का*

द्विजा अकार रेडी गाफ पीपीआ के वाता नं 238 07 नं 8, 79, 424 मे दर्ज चिमाकडा पुजी रिपसिडि के बजाय श्री कंवर पुजी रिपसिडि के नाम की घोषणा की जाती है। तदवधि लडा, चूरु उन्वान सुफ राजा इमिले मे इमिले डामड की। कडी के डिक्री मे फोड इफ राफिडि उमरण इरुड ए लाका। राय वकला हलो पूर 215 की मारु हेरा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख *06-06-2022* को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्री सत्यनारायण
(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

